रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062025-263679
CG-DL-E-09062025-263679

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947
No. 333]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

सा.का.नि 376(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ इंजीनियर (दूरसंचार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विभाग, दूरसंचार इंजीनियरी सेवा कनिष्ठ इंजीनियर (दूरसंचार) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. -वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु कि यदि केन्द्रीय सरकार का ये समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति. - इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कनिष्ठ इंजीनियर (दूरसंचार)	115* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनअनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रूपए)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा के मामले में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा इलेक्ट्रिकल और संचार अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अथवा कंप्यूटर विज्ञान अथवा दूरसंचार अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री। **टिप्पण 1:** वे उम्मीदवार भी पात्र होंगे जिन्होंने 31 मई 2013 तक निम्नलिखित में नामांकन किया हो और उत्तीर्ण किया हो :-	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार, परिवीक्षा की सफल पूर्णता हेतु कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण किया जाना आवश्यक होगा।

टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग यथा विज्ञापित होगी।	इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की संस्था परीक्षाओं के सेक्शन ए और बी या इंस्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स (इंडिया) की ग्रेजुएट मेंबरशिप परीक्षा या एसोसिएट मेंबरशिप परीक्षा के भाग II और III या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्शन ए और बी। **टिप्पण 2 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 3 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिन से प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 60 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 40 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) ।	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्प-कालिक संविदा सम्मिलित है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र, स्वायत निकायों या कानूनी संगठनों,पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी:	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित हैं : (1) उप महानिदेशक, दूरसंचार विभाग – अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5- (29200-92300 रुपये) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात 6 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ संख्या 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(2) निदेशक, दूरसंचार विभाग – सदस्य; (3) सहायक महानिदेशक, दूरसंचार विभाग – सदस्य।	

[फा. सं. 9-11(03)/2024-स्थापना(भ. नि.)]

रोशनी सोहनी, उप महानिदेशक (स्थापना)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025.

G.S.R. 376(E)- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Telecom) in the Department of Telecommunications, Ministry of Communications namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Department of Telecommunications, Telecommunications Engineering Service, Junior Engineer (Telecom), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Savings. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Engineer (Telecom)	115* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in	Period of probation, if any.

		case of promotees.	
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Bachelor degree in Engineering or Technology in Electrical or Electronics or Electrical Communications or Electronics Communications or Computer Science or Telecommunications or Information Technology or Instrumentation from a recognised University or Institute. **Note 1:** The candidates, having passed Sections A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India) or passed Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (India) or passed Associate Membership Examination Parts II and III or Sections A and B of the Aeronautical Society of India, who were enrolled with these institutions upto the 31st May, 2013, shall also be eligible. **Note 2**: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 3:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC to be Consulted in making recruitments.
(10)	(11)	(12)	(13)

(i) 60 per cent by direct recruitment through Staff Selection Commission. (ii) 40 per cent by deputation including Short Term Contract.	Deputation (including short term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - (1) Deputy Director General, Department of Telecommunications— Chairman; (2)Director, Department of Telecommunications - Member; (3)Assistant Director General, Department of Telecommunications — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. 9-11(03)/2024-Estt(RR)]

ROSHNI SOHNI, Dy. Director General (Establishment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.